न्यायालय– जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–तृतीय, सिवान
उपस्थितः– उमेश मणि त्रिपाठी
B.P. No.- 836/2026
अयूब खान बनाम बिहार सरकार
[सिसवन थाना कांड सं0 68/2002]
आदेश

07.08.2026 आवेदक/अभियुक्त **अयूब खान पे0 कामरूल खान** जो इस मामले में दिनांक **11.05.2026** से न्यायिक अभिरक्षा में है, की ओर से दाखिल जमानत आवेदन सं0 836/2026, सिसवन थाना कांड सं0 68/2002, अंतर्गत धारा–414 भा0दं0वि0 पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री अरबिंद कुमार त्रिपाठी एवं विपक्षी विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री रघुवर सिंह को सुना।

संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि सूचक अ0नि0 लाल बिहारी सिन्हा, सिसवन थाना के रिजर्व गार्ड रामानंद सिंह, कमरूद्दीन एवं थाना में प्रतिनियुक्त टास्ट फोर्स के रामेश्वर पासवान, देवेन्द्र पासवान, परमात्मा यादव, दरोगा राम तथा सरकारी जीप संख्या–बीआर29ए1073 के चालक ललन सिंह के साथ सरकारी जीप से ग्यासपुर स्थित ग्रामीण बैंक को चेक करके 14.40 बजे थाना वापस लौट रहे थे कि ग्यासपुर में हीं गुप्त सूचना मिली कि ग्यासपुर स्थित मनन सोनार के छतदार मकान के अंदर कमरा में कुछ चोरी का सामान रखा हुआ है तथा कुछ व्यक्ति वहीं पर बैठकर आपस में बातचीत कर रहे है। सूचना प्राप्त होते हीं सत्यापन हेतु सूचक पुलिस बल के साथ जीप से मनन सोनार के छतदार मकान के करीब पहुँचा तो देखा कि 3–4 अज्ञात व्यक्ति पुलिस जीप को देखते ही तेजी से दौड़कर भागने लगे जिससे लगा कि वे लोग चोरी का सामान रखे हुये है। उन भाग रहे लोगों का काफी दूर तक पीछा किया गया लेकिन वे सभी भागने में सफल हुये। मनन सोनार के मकान पर आकर देखा गया कि उसके घर का सभी कमरा खुला हुआ था। कमरा के अंदर भिन्न–भिन्न प्रकार का अनेकों सामान रखा हुआ था जो देखने में हीं चोरी का लग रहा था जिसे दो स्वतंत्र साक्षी मोहम्मद रज्जा एवं ललन जी सोनार की उपस्थिति में मनन सोनार के घरों की तलाशी लेने पर अनेकों चोरी का सामान बरामद हुआ जिसके संबंध में पूछताछ करने पर उक्त दोनों साक्षियों एवं अन्य स्थानीय ग्रामीणों ने बतलाया कि उक्त सभी सामान कुछ दिन पहले अयूब खॉ, रईस खॉ, बड़क मियॉ, आनंद सिंह, एवं अज्ञात 3–4 उनके साथीगण उक्त सामानों को कहीं से चुराकर चुपके से लाकर मनन सोनार के स्वेच्छा से उनके घर में छुपाकर रखे हुये है। अयूब खॉ के गिरोह के 3–4 अज्ञात व्यक्ति उक्त
सामानों को कहीं अन्यत्र बेचने के लिए हटाना चाह रहे थे। इसी क्रम में पुलिस को देखकर सभी व्यक्ति समानों को छोड़कर दौड़ते हुए भाग गये जिसके फलस्वरूप चोरी के सामानों की बरामदगी हुई।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में कहा गया है कि एस0एच0ओ0 लक्ष्मण प्रसाद के द्वारा स्व–लिखित रिपोर्ट के आधार पर यह मामला पंजीकृत किया गया है। आवेदक की ओर से कोई अग्रिम या नियमित जमानत आवेदन कभी भी विद्वान प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिवान या माननीय उच्च न्यायालय पटना के समक्ष दाखिल नहीं किया गया है। आवेदक के खिलाफ पूर्व से 31 मामले पंजीकृत है। आवेदक बिल्कुल निर्दोष है और उसे गलत तरीके से इस मामले में फंसाया गया है। आवेदक के विरूद्ध लगाया गया आरोप पूरी तरह से झूठा, आधारहीन और मनगढंत है। आवेदक का कथित घटना से कोई संबंध नहीं है। आवेदक के अपराध के संबंध में कोई कानूनी सुबूत नहीं है। आवेदक के विरूद्ध लगाए गए आरोप की धारा

न्यायालय– जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–तृतीय, सिवान
उपस्थितः– उमेश मणि त्रिपाठी
B.P. No.- 836/2026
अयूब खान बनाम बिहार सरकार
[सिसवन थाना कांड सं0 68/2002]

07.08.2026
लगातार

बिल्कुल भी सिद्ध नहीं होती है। प्रस्तुत मामले के सह–अभियुक्त रईश खान को पूर्व में जमानत आवेदन संख्या 138/2026 को द्वारा पूर्व में इसी न्यायालय द्वारा जमानत की सुविधा प्रदान की जा चुकी है। आवेदक का मामला भी समान प्रकृति का है एवं सह–अभियुक्त मनन को सोनार को माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा क्रिमिनल मिसलेनियस नम्बर 26993/2002 के द्वारा जमानत की सुविधा प्रदान की जा चुकी है। आवेदक मामले की जांच और सुनवाई में अपना पूर्ण सहयोग देने का वचन देते हैं। अतः आवेदक को जमानत पर मुक्त किए जाने की प्रार्थना की गई।

विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री रघुवर सिंह ने जमानत आवेदन का विरोध करते हुए अपने तर्क में यह कहा है कि आवेदक/अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है। अतः जमानत आवेदन को खारिज किया जाय।

उभय पक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत मामले में प्राथमिकी सिसवन थाना कांड सं0 68/2002, अंतर्गत धारा–414 भा0दं0वि0 में पंजीकृत कराई गई है। आवेदक के विरूद्ध भारी मात्रा में चोरी की गई सामानों को छिपाने में सहायता करने का आरोप लगाया गया है। कांड दैनिकी की कंडिका संख्या 2 में जप्ती सूची अंकित है जिसमें भारी मात्रा में चुराई हुई संपत्ति बरामद होने की बात कही गई है। कांड दैनिकी की कंडिका संख्या 3 में वादी का पुनः बयान अंकित है जिसमें उन्होंने प्राथमिकी एवं घटना का पूर्ण रूप से समर्थन किया है। कांड दैनिकी के कंडिका संख्या 04, 05, 06 एवं 07 में साक्षियों का बयान अंकित है जिसमें सभी साक्षियों ने प्राथमिकी का पूर्ण रूप से समर्थन किया है। कांड दैनिकी के कंडिका संख्या 40 के अनुसार आवेदक के खिलाफ पूर्व से 31 मामले पंजीकृत है और इनमें से अधिकांश मामले चोरी, लूट और डकैती जैसे मामलों से संबंधित है अर्थात् आवेदक प्रकार की घटनाओं की आदतन अपराधी हैं। आवेदक द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का अपराध है। आवेदक द्वारा कारित अपराध की प्रकृति एवं उपरोक्त तथ्यों के आलोक में आवेदक को जमानत पर मुक्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं
होता है।

अतः आवेदक/अभियुक्त **अयूब खान** की तरफ से प्रस्तुत जमानत आवेदन दिनांक 02.07.2026 को उपरोक्त के आलोक में **खारिज** किया जाता है।

लेखापित
ह0/–
(उमेश मणि त्रिपाठी)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, सिवान।
दिनांक 07.08.2026

Date of Order/Judgment	07.08.2026
Date of Reserving Order/Judgment	07.08.2026
Uploading Date	12.08.2026
Uploaded By	RAVI KANT